"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गज़ट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 233] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2005—आश्विन 8, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2005

अधिसूचना

फा. क्रमांक 7724/डी-2162/21-ब/छ.ग./05.—न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (क्रमांक 7 सन् 1870) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में, राज्य सरकार द्वारा सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के समक्ष फाईल किये जाने वाले मामलों में देय न्यायालय शुल्क से तत्काल प्रभाव से छूट प्रदान करती है.

F. No. 7724/D-2162/XXI-B/C.G./05.—In exercise of the powers conferred by section 35 of the Court Fees Act, 1870 (No. 7 of 1870), the State Government hereby remits from immediate effect in whole of the State of Chhattisgarh, the Court Fees payable in the cases filed by the State Government before a court of competent jurisdiction.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2005.